

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

महावीर कैसर सस्थान,

फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक. .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	विनय पासवान पिता-राम विलास पासवान ग्राम-लोदीपुर पोस्ट-कमालपुर थाना अलीपुर जिला-गया एम०सी०एस- जी० 1861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	उषा कुमारी पति-दिनेश प्रसाद ग्राम-देवघर भेखा टोला पोस्ट+थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर एम०सी०एस-जी० 2393	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कलावती देवी पति-राम प्रवेश गोंड ग्राम-अरैला पोस्ट-अमसारी थाना-डुमराँव जिला-बक्सर एम०सी०एस-एफ 99522	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	नित्या नन्द यादव पिता-दीप नारायण यादव ग्राम-महेवा पो०-छरियारी थाना-मखदुमुर जिला-जहानाबाद एम०सी०एस- जी० 666	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अरुण कुमार सिंह पिता-गणेश सिंह ग्राम-मडईडीह पोस्ट-मडईडीह थाना-पातेपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 2614	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुमित्रा देवी पति-दिनेश पंडित ग्राम-मानपुर पो0-अग्रहण थाना शामपुर जिला-मुगेर एम0सी0एस- जी0 1997	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	प्रकाश कुमार पिता-अनिरुद्ध मंडल ग्राम-मेहरपुर पोस्ट-चुटिया थाना-बाका जिला-बाका एम0सी0एस- जी0 2027	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	आयान कुमार पिता-रामधनी कुमार ग्राम-टडवॉ पो0-अरप थाना-नौबतपुर जिला पटना एम0सी0एस- जी0 1859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	पार्वती देवी पति-उमेश महतो ग्राम-सदलपुर पोस्ट-महेन्द्रु थाना-बहादुरपुर जिला-पटना एम0सी0एस- जी0 2127	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शिबो देवी पति-भोगेन्द्र मुखिया ग्राम-चपाही पो0-चपाही थाना-राजनगर जिला मधुबनी एम0सी0एस- जी0 99905	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	राम चन्दर महतो पिता-स्व0 राम भरोस महतो ग्राम-चलकी पो0-दौलतपुर थाना-खोदावान्दपुर जिला-बेगुसराय एम0सी0एस- जी0 1271	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	सुबोध कुमार शर्मा पिता-स्व० राम रक्षा शर्मा ग्राम-सिंधिया मकदपुर पो०-सिंधिया मकदपुर थाना-गोपालपुर जिला-भागलपुर एम०सी०एस- जी० 91990	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	चादमुनी देवी पति-स्व० हरी नारायण चौधरी ग्राम+पो०-दलीपपुर थाना-धनगाई जिला-भोजपुर एम०सी०एस- जी० 1502	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	लालती देवी पति-ओम प्रकाश चौधरी ग्राम-नेहरू टोली भीतरी बेगमपुर पो०-मथनीपर थाना चौक जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 1415	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	जीनत परवीन पति-मो० अमन उल्लाह ग्राम-मोहल्ला इमादपुर पो०+थाना-बिहार शरीफ जिला-नालदा एम०सी०एस-ई० 17181	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	कमलेश्वरी प्रसाद सिंह पिता-राम प्रसाद सिंह ग्राम+पो०-भीमपुर थाना-भीमपुर जिला-सुपौल एम०सी०एस-जी० 2504	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	रीता देवी पति-जय नारायण सिंह ग्राम-रूपनगर पोस्ट-सिमरिया घाट थाना-बरौनी पी०एस० जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-जी० 1456	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	पुनम देवी पति-आदित्य यादव ग्राम-चांदचक पो०-लहसुना थाना-मसौडी जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 1025	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	जय जय राम सहनी पिता-विष्णु सहनी ग्राम+पो0-सोनवर्षा थाना-चौथम जिला-खगडिया एम0सी0एस-जी0 1901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	दिनेश शर्मा पिता-देवनारायण शर्मा ग्राम-रामपुर कुबेर टोला पोस्ट-रामपुर थाना-फारबीसगज जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 96443	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	ललन कुमार पिता-स्व0 श्यामा कान्त ठाकुर ग्राम-बरौनी 1 पो0-बरौनी डेयोढी थाना-तेघडा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 3015	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	चन्द्रमा राय पिता-स्व0 पीलु राय ग्राम-जादोपुर पोस्ट-मटियारी थाना-बैकुठपुर जिला-गोपालगंज एम0सी0एस-जी0 848	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	तानो खातुन पति-मो0 जाहिर खान ग्राम+पो0-आकरथापा थाना भरगामा जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 1181	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	राम बालक राम पिता-स्व0 चन्द्रदेव राम ग्राम-राजपुर पो0-पीरी बाजार थाना-पीरी बाजार जिला-लखीसराय एम0सी0एस- जी0 2495	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	हेना देवी पति-अर्जुन साह ग्राम-इटहरी पोस्ट-फुल्लीडुमर थाना-फुल्लीडुमर जिला-बांका एम0सी0एस-जी0 2584	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	नीलम देवी पति-अनिल कुमार ग्राम-कझियांवा पोस्ट-बासडीह थाना-थरथरी जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 94582	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
27	गायत्री मरांडी पिता-मंजला मरांडी ग्राम-रखाटोला पो0-डुमरिया थाना-डडखोरा जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 2544	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
28	चिता देवी पति-अशोक साह ग्राम-धनहारा पो0-धनहारा थाना-कछवा जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 99322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
29	नथुनी साह पिता-हीरा लाल साह ग्राम-मधुबनी पो0-योगीवाना थाना-सहियारा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-जी0 2786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
30	केशव प्रसाद सुमन पिता-मुन्नी यादव ग्राम+पो0-रतनपुरा थाना-घैलाढ जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 93622	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
31	कुशमी देवी पति-झगरू भगत ग्राम-जमुनीया पोस्ट-मझरिया किशुन थाना-जगदीशपुर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 2425	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
32	सलमा खातुन पति-अबसार आलम ग्राम-बहेरा पो0-बहेरा थाना-सिकटा जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 95272	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।

33	मटु कुमार पिता-कृष्णा राम ग्राम-राम नगर वार्ड 04 पो0-औरंगाबाद थाना-मुफ्फसिल जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 2597	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	मकसदी खातुन पति-बिस्मिल कुरैशी ग्राम-कुरैशी मोहल्ला पो-औरंगाबाद थाना टाउन जिला औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 49972	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
35	उग्रसेन आचार्य पिता-हरिबल्लभ आचार्य ग्राम-बलिया पोस्ट-अफजला बलिया थाना-बिरौल जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 1623	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	रुबी देवी पति-संजय कुमार महतो ग्राम-उदा पो0-मधुबन थाना-उदा किशुनगंज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 2277	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	सबेरा बीबी पति-मो0 आजाद अली ग्राम-अनारकली पो0-बासगाढा थाना-बरारी जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 66688	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	बिन्दा देवी पति-राम नरेश शुक्ला ग्राम-छतरपट्टी पो0-बोधा छपर थाना-गोपालपुर जिला-गोपालगंज एम0सी0एस-जी0 1707	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	समीदा खातुन पति-मो गफूर ग्राम-खोदावान्दपुर पो0-खोदावान्दपुर थाना-खोदावान्दपुर जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 3072	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	समशा खातुन पति-मो० मोतिउर रहमान ग्राम-तिसी नरसाम पो०-रथौस थाना-बिस्फी जिला-मधुबनी एम०सी०एस-जी० 1647	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
41	मिथिलेश यादव पिता-सत्य नारायण यादव ग्राम-रहटा पा०-रहटा थाना-कुमारखंड जिला-मधेपुरा एम०सी०एस-जी० 3234	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
42	मनोज कुमार पिता-भोला पासवान ग्राम-बिलाप पो०-कुजवॉ थाना-बिहटा जिला पटना एम०सी०एस-जी० 3110	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
43	मुस्कान खातुन पिता-मो० कलाम ग्राम-पो०-सहुरी थाना-बीरपुर पी०एस० जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-एफ 10731	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत ।
44	शबनम खातुन पति-मो० मोईन ग्राम-बरेली पो०-टोली कोला थाना-अमौर जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-ई० 45868	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
45	ममता देवी पति-अरुण यादव ग्रा-रतनपुरा पो०-रतनपुरा थाना-अशोक पेपर मील जिला-दरभंगा एम०सी०एस-जी० 4	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
46	सोनु कुमार ठाकुर पिता-प्रहलाद ठाकुर ग्राम-छोटी भैंसदीरा पोस्ट-छोटी भैंसदीरा थाना-बरारी जिला-कटिहार एम०सी०एस- 98169	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

47	राम प्रगास मडल पिता-अधनु मडल ग्राम-मधुरापुर वार्ड 11 पोस्ट-मधुरापुर थाना-बाजपट्टी जिला-सीतामढी एम0सी0एस-जी0 2311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	शिव कुमार सिंह पिता-स्व0 मेदनी सिंह ग्राम+पो0-पुरा थाना-टेकारी जिला गया एम0सी0एस-जी0 2263	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	गीता देवी पति-सुरेन्द्र पासवान ग्राम-पहाडपुर पोस्ट-बालुकाराम थाना-वैशाली जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 97804	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	अलबेला बेगम पति-मो0 कमरुण ग्राम-बैसा पो0-रौता हाट थाना-रौता जिला पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 75543	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	प्रभावती देवी पति-सत्येन्द्र प्रसाद ग्राम-उसमानचक पो0-उसमानचक थाना-'मसौढी जिला पटना एम0सी0एस-एफ 41391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	इन्द्रा देवी पति-मोती राम ग्राम-पौराम पोस्ट-हायाघाट थाना-हायाघाट जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 2042	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	रुकमणी देवी पति-अशोक कुमार चौधरी ग्राम-बाबा लाल दास मठ पो0-बैरगनीया थाना बैरगनीया जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 92979	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	इन्दु देवी पति/पिता-यमुना तिवारी ग्राम-धरहरा पोस्ट-बिहिया चौरस्ता थाना-बिहिया जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 93664	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	नैतीक कुमार पिता-रविन्द्र कुमार ग्राम-महसोनी पो0-कजरा थाना पीरी बाजार जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी0 1845	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	अजय तिवारी पिता-विश्वनाथ तिवारी ग्राम+चतुर्भुज छपरा पो0 सरैया थाना-बनियापुर जिला-सारण छपरा एम0सी0एस-जी0 2086	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	मोतीझारी देवी पति-स्व0 गुप्तेश्वर राम ग्राम-भोजपुर कदीम पो0-भोजपुर कदीम थाना-भोजपुर ओ0पी0 जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 98065	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	अमोद ताती पिता-गोपी तांती ग्राम+पो0-कल्याणपुर थाना-बरियारपुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस-एफ 98326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	मो0 एकरामुल हक पिता-'मो0 हबीब ग्राम-सराय किला घाट रोड पो-भागलपुर सिटी थाना-ततारपुर जिला भागलपुर एम0सी0एस-एफ 96636	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	नीलम देवी पति-ललित कुमार झा ग्राम-किउल गरहरा पोस्ट-गरहरा थाना-बरौनी पी0एस0 जिला बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 714	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	लालमती देवी पति-योगेन्द्र महतो ग्राम-पो0-रूपनछाप थाना-बरौली जिला-गोपालगंज एम0सी0एस-जी0 1592	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	महेन्द्र यादव पिता-भुमी यादव ग्राम-परसाहा पो0-सरवेला थाना-बनमा इटहरी जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 1216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	सुनैना देवी पति-नवीन कुमार मिश्रा ग्राम-बेदौली पो0-शहर रामपुर थाना-नौबतपुर जिला पटना एम0सी0एस-जी0 2059	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	मोहम्मद मोहीउद्दीन पिता-मैनुद्दीन ग्राम-बेराखोर पो0-सकोला थाना-अबादपुर जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 1411	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	रामानन्द पासवान पिता-माणिक पासवान ग्राम-बिन्द पो0-बिन्द थाना-बिन्द जिला-नालदा एम0सी0एस-एफ 97541	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	मोबीना खातुन पति-मो0 अरशद ग्राम-पुरानी बाजार पो0+थाना-मसौढी जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 2379	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	घमंडी विन्द पिता-राम जतन बिन्द ग्राम-सैदपुर पोस्ट-लकहवार थाना-घोषी जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 99424	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	मिता देवी पति-देव कुमार राय ग्राम-सुरतपुर पो0-कोटवापट्टी थाना-डोरीगज जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 97942	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
69	सतो यादव पिता-मौजे यादव ग्राम-नवटोलीया पो0-कुडल थाना-सिधिया जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 1797	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
70	मो0 इदरीश पिता-मो0 सलाउद्दीन ग्राम-राघेपुरा पोस्ट-बाढ थाना-बिस्फी जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 97776	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
71	तेतर सिंह पिता-स्व0 बाउन सिंह ग्राम-पो0 सोसन्दी थाना-रहुई जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 64788	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत ।
72	नीरज कुमार पिता-कृष्णा शर्मा ग्राम-कन्दौल 09 पो0-हुलासगंज थाना-हुलासगंज जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 2575	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
73	देवनारायण मंडल पिता-स्व0 भीखन मंडल ग्राम-रानीकुरा पोस्ट-बाराजोर थाना-झाझा जिला जमुई एम0सी0एस-एफ 2565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
74	गोसाई महतो पिता-रामवतार महतो ग्राम-अमवा मझवा टोला पो0-अमवा मझार थाना-मुफसिल जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 308	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

75	कल्पना देवी पति-प्रवीण कुमार ठाकुर ग्राम-ब्रह्मपुर पोस्ट-ब्रह्मपुर थाना-कमतोल जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 96451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	सुलेना देवी पति-सुरेश पासवान ग्राम-राजदुमरी पो0-मिर्जापुर बदुआ थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 3058	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	नन्द लाल पंडित पिता-मिकरजीत पंडित ग्राम-नया टोला मकुना पोस्ट-लखीसराय थाना-कवैया जिला-लखीसराय एम0सी0एस-एफ 91451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	अभय कुमार पिता-योगेन्द्र मडल ग्राम-शेरपुर पो0-वासुदेवपुर थाना-वासुदेवपुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस-एफ 69298	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
79	सबरून खातुन पति-मो0 मकसुद आलम ग्राम-पो0-खवासपुर थाना-लकडी नवीगज जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 2344	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	सलमा खातुन पति-मो0 इदरीश ग्राम-महथ मनियारी पो0-सिलौत थाना-मनियारी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 95324	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	सतोष मडल पिता-कुशेश्वर मडल ग्राम+पो0-बसहा मिर्जापुर थाना-अशोक पेपर मील जिला दरभंगा एमसी0एस-एफ 95507	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	रीचा कुमारी पिता-आराव राज ग्राम-जैनी टोला पो0-बेलवा मोड थाना बथवरीया जिला-प0 चम्पारण एमसी0एस-एफ 90730	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	मुरारी आचार्य पिता-भोला नन्द आचार्य ग्राम-बलीया पोस्ट-अफजला बलीया थाना-बिरौल जिला-दरभंगा एमसी0एस-जी0 1634	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	रुबी कुमारी पति-सुभाष कुमार ग्राम-सुल्तानपुर पो0-सुल्तानपुर थाना-देसरी जिला-वैशाली एमसी0एस-एफ 96067	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	प्रमिला देवी पति-राजेश कुमार ग्राम-सादीपुर पो0 गोरेया कोठी थाना-गोरेया कोठी जिला-सीवान एमसी0एस-जी0 1446	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	अनिता देवी पति-गोपाल प्रसाद जयसवाल ग्राम-बलहा बाजार पोस्ट-बलजा बजार थाना मानसी जिला खगडिया एमसी0एस-एफ 82036	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	छेदनी देवी पति-नसीब लाल साह ग्राम-पो0-मिर्जापुर कोठी थाना-सिमराहा जिला-अररिया एमसी0एस-एफ 80383	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	पिकी देवी पति-मालिक बाबु ग्राम-चौमुखा पो0-चौमुखा थाना-योगापट्टी जिला-प0 चम्पारण एमसी0एस-जी 1781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	खकारी देवी पति-मधु दास ग्राम-धरमपुर बन्नी पो0-बन्नी थाना-मेहशखुट जिला-खगडिया एमसी0एस-जी0 1766	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	प्रिती कुमारी पिता-रघु पटेल ग्राम-पो0-पातेपुर थाना-पातेपुर जिला वैशाली एमसी0एस-एफ 99129	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	शाति देवी पति-स्व0 दुखन रजक ग्राम-कोको वार्ड 9 पोस्ट-काको थाना-काको जिला-जहानाबाद एमसी0एस-जी0 1278	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	राजु साह पिता-राघो साह ग्राम-लरौली पो0-बिशनपुर थाना-सिधवलीया जिला गोपालगंज एमसी0एस-जी0 2787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	नरेश राम पिता-स्व0 मथुरा राम ग्राम-धमौलीडीह पोस्ट+थाना वेना जिला नालदा एमसी0एस-एफ 98825	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	हरेन्द्र सहनी पिता-बली सहनी ग्राम-बभनगामा पो0-बभनगामा थाना-रीगा जिला-सीतामढी एमसी0एस-जी0 2158	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	श्याम सुन्दर साह पिता-बद्री साह ग्राम-भेलवा पो0-सिमराहा थाना+जिला मधेपुरा एमसी0एस-एफ 99171	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	गिरजा देवी पति-कपिल प्रसाद ग्राम-कोपीन पो0-बीजु बीघा थाना-सीतामढी जिला नवादा एमसी0एस-जी0 3219	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
97	तारनी देवी पति-राम नारायण यादव ग्राम-कटहरवा पो0-बुधमा थाना-मधेपुरा जिला-मधेपुरा एमसी0एस-एफ 80724	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
98	देवन्ती देवी पति-स्व0 लक्ष्मण प्रसाद ग्राम-त्रिस्तियन क्वार्टर पो0-बेतिया थाना नगर जिला-प0 चम्पारण एमसी0एस-जी0 891	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
99	गोविन्द कुमार यादव पिता-वकील यादव ग्राम-बालीपुर पो0-सोहायल थाना सनोखर जिला-भागलपुर एमसी0एस-जी0 2580	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
100	कृष्णा राम पिता- स्व0 फीरगी राम ग्राम-भीमनीचक पोस्ट-ऐनखा थाना दुल्हिन बाजार जिला-पटना एमसी0एस-जी0 2765	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
101	मो0 अफरोज पिता-मो0 गुलजार ग्राम-कसाई मोहल्ला लाईन बाजार पो0-गिरजा चौक थाना-सहायक खजांची जिला-पूर्णिया एमसी0एस-एफ 70842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
102	मो0 जफीर पिता-मो0 मोहीउद्दीन ग्राम-सरहद गती वार्ड 01 पोस्ट-पुरैनी थाना-श्रीनगर जिला-मधेपुरा एमसी0एस-जी0 1783	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

103	गणेश प्रसाद पिता-कामेश्वर महतो ग्राम-कुर्मी बिगहा पो0-लखवार थाना-घोषी जिला-जहानाबाद एमसी0एस-एफ 89775	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	सुनिता देवी पति-गणेश प्रसाद ग्राम-कुअवॉ रोड पो0-बारा चकिया थाना-चकिया पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-एफ 90910	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	सूर्य नारायण मेहता पिता-नकछेदी मेहता ग्राम+पो0-लालमनपट्टी थाना-रतनपुरा जिला-सुपौल एमसी0एस-जी0 1689	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	निरोज कुमार सिंह पिता-स्व0 छोटे लाल सिंह ग्राम-ओरलहा पो0-ओरलाहा थाना-बी0 कोठी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 96990	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	प्रमिला सेनापति पति-उमा शकर सेनापति ग्राम-बसत बिहार कोलनी बोरिंग रोड पो0-जी0पी0ओ0 थाना-कृष्णापुरी जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 37	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	मो0 नेसार पिता-मो0 हबीब ग्राम-बिशुनपुर पो0 चट्टी थाना-देव जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 3418	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	भागमती देवी पति-दरोगा राय ग्राम-सिसई बगही टोला वार्ड 12 पो0-सिसई थाना-गोरैया कोठी जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 2401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	सुधिरा देवी पति-प्रभु राम ग्राम-भरही पो0-अफजला थाना बिरौल जिला दरभंगा एम0सी0एस-डी0 48453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	पुनित सिंह पिता-होरिल सिंह ग्राम-समदा पोस्ट+थाना-हवेली खडगपुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस- जी0 2247	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	रीता देवी पति-रतन पासवान ग्राम-पडसर पोस्ट-पडसर थाना-काराकाट जिला-रोहतास एम0सी0एस-जी0 1771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	सलमा खातुन पति-स्व0 मो0 हुसैन ग्राम-छावनी टिकारी पो0 टिकारी थाना-टिकारी जिला गया एम0सी0एस- जी0 2055	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	सोती कमैत पिता-डोमी कमैत ग्राम+पो0-नाथपुर थाना-नरपतगज जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 482	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	ललीता देवी पति-कारु ताती ग्राम-कसरहट पोस्ट-मलयपुर थाना-मलयपुर जिला-जमुई एम0सी0एस-जी0 2546	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	राजवीन कुमार पिता-सुनील कुमार ग्राम-बडी पहाडी पो0-सोहसराय थाना-लहेरी जिला-नालंदा एम0सी0एस-एफ 97637	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

117	दीपीका गुप्ता पति पवन कुमार गुप्ता ग्राम-वेस्ट अजीमगज पोस्ट-हवेली खडगपुर थाना-हवेली खडगपुर जिला-मुगेर एम0सी0एस-एफ 95730	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
118	मो0 नईम पिता-मो0 वासील ग्राम-पो0 मोहनपुर थाना-छातापुर जिला सुपौल एम0सी0एस-जी0 541	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	खुशबु कुमारी पति/पिता-टुनटुन यादव ग्राम-पो0-बुधौरा थाना-अलौली जिला-खगडिया एम0सी0एस-जी0 749	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	बासो पासवान पिता-अनुप पासवान ग्राम-पो-नन्दगामा थाना-रामगढ चौक जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी0 1786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	आशा देवी पति-विनोद पासवान ग्राम-भाररिया वार्ड 08 पोस्ट-नदेनगर थाना-रोसडा जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 2762	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	मास्टर अभिनव कुमार पिता-अवधेश कुमार ग्राम-घुघरी टाड शिव मंदिर के पास पो0-चौद चौरा थाना-विष्णुपद जिला-गया एम0सी0एस-जी0 3046	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	रीता देवी पति-राम बाबु साह ग्राम-कनकपुर पोस्ट-इसमेला थाना-दिघवारा जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 66786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
124	जोखना खातुन पति-जलील मियां ग्राम-जमुहार वार्ड 4 पोस्ट-जमुहार थाना-डेहरी मुफसील जिला-रोहतास एम0सीएस-जी0 3532	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

125	नागमणि पाठक पिता- ब्रिज मोहन पाठक ग्राम- रजिस्ट्री कचहरी के पास वार्ड 30 पो0- सिवान थाना- नगर जिला- सिवान एमसीएस नं0- डी 47516	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			97,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 97,40,000/- (सन्तानवें लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **3601018437** खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 27/4/14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान सस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपू चौधरी पिता- स्व० राजेन्द्र प्रसाद चौधरी ग्राम- कुर्जी बालूपर पो०- सदाकत आश्रम थाना- दीघा जिला- पटना सीआर न०- 108112301016050	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रंजन देवी पति- मलहू पासवान ग्राम+पो०- मनोवर थाना- जलई जिला- सहरसा सीआर नं०- 108112403251380	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	पसपति देवी पति- मोहन साह ग्राम- भगवानपुर पो०- रामपुररुद्र थाना- पानापुर जिला- सारण सीआर न०- 108112401901351	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सिकान्ति देवी पति- दिलीप सिंह ग्राम+पो०- बाक्सानदा थाना- परसा जिला- सारण सीआर नं०- 108112500048513	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	शाहजहा खातून पति- बदरुद्दीन अंसारी ग्राम- फुर्सतपुर पो0- सूतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर न0- 108112403761566	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	सच्चिदानंद यादव पिता- भोगीलाल यादव ग्राम- जगबानी पो0- भवानीपुर थाना- गम्हरिया जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112400265380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सम्भु साह पिता- रामपुकार साह ग्राम- मारर वार्ड 02 पो0- कंसार थाना- बेलसंड जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112300160599	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सजू देवी पति- मसुदन सिंह ग्राम- चदा वार्ड 13 पो0- चद थाना- अथमलगोला जिला- पटना सीआर न0- 108112300373002	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मुन्नी कुमारी पति- मनोज साहू ग्राम- महारा वार्ड 03 पो0- बिष्णुपुर डीहा थाना- सिन्धिया जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112400994284	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मीरा देवी पति- नवल किशोर प्रसाद ग्राम- फतेहपुर वार्ड 16 पो0- सिहरी थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112401468179	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	राजेश कुमार पंडित पिता- बलिराम पंडित ग्राम- शूरवीर वार्ड 02 पो0- पटेढी थाना- महाराजगज जिला- सिवान सीआर नं0- 108112401470475	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	नीलम देवी पति- दिनेश पोद्दार ग्राम- हवाईअड्डा पो0- डहेरिया मिल्स थाना- सहायक जिला- कटिहार सीआर न0- 108112500145586	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	वनहर खातून पति- मो0 इसराईल हुसैन ग्राम+पो0- पंचानपुर थाना- टिकारी जिला- गयाजी सीआर नं0- 108112502468307	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	ममता देवी पति- सुनील झा ग्राम+पो0+थाना- बेसड जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112402068751	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	उपेद्र साहू पिता- मिश्रीलाल साहू ग्राम- सुसारी वार्ड 12 पो0- सुसारी थाना- बहेरी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112500787545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	कपिल राम पिता- प्रसाद राम ग्राम- काला कुमहिया वार्ड 13 पो0- गुदगुदी थाना- गोबर्धना जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 108112500321864	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	छटु भगत पिता- अर्जुन भगत ग्राम- परसौनी रईसी वार्ड 01 पो0- तरावां थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112501813782	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सुरातुन निशा पति- अब्दुल बारीक ग्राम- बेलवा वार्ड 03 पो0- चकला घाट थाना- किशनगंज जिला- किशनगंज सीआर न0- 108112501507040	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	ईसराफिल पिता— जमाल उद्दीन ग्राम—घोरिकवा वार्ड 09 पो0— बरजोर थाना— झाझा जिला— जमुई सीआर न0— 108112501358664	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
20	मो0 कमाल साह पिता— अब्दुल हक साह ग्राम— इस्माइल शहीद तकीय पो0— सिवान थाना— सराय जिला— सिवान सीआर नं0— 108112400019737	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
21	मीणा देवी पति— महेश महतो ग्राम— पचटकी यदु वार्ड 08 पो0— पचटकी यदु थाना— बैरगनिया जिला— सीतामढी सीआर न0— 108112301251717	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
22	नवल किशोर पडति पिता— स्व0 खयाली पडित ग्राम+पो0+थाना— मथुरापुर जिला— समस्तीपुर सीआर नं0— 108112502538429	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
23	सविता देवी पति— लालधन बिन्द ग्राम— महमदपुर वार्ड 09 पो0— मिरचाईगंज थाना— वेन जिला— नालदा सीआर नं0— 108112502091777	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
24	मदीना खातुन पति— मो0 रिजवान आलम ग्राम— कौरियाही पो0— करिऔत थाना— लौकही जिला— मधुबनी सीआर नं0— 108112502429379	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
25	गीता देवी पति— हरिनारायण राम ग्राम— बकाद पो0— अजीजपुर थाना— पातेपुर जिला— वैशाली सीआर न0— 108112501060722	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

26	देवती देवी पति— हरिशंकर प्रसाद ग्राम— उबधी पो0— बखरी थाना— सिसवन जिला— सिवान सीआर न0— 108112501922802	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सतोष कुमार पिता— महेंद्र पासवान ग्राम— मुरौरा वार्ड 09 पो0— मुरौरा थाना— बिहारशरीफ जिला— नालदा सीआर न0— 108112502407260	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	नूरहजो खातून पति— मो0 शोएब आलम ग्राम— बडी दरगाह पो0+थाना— बिहारशरीफ जिला— नालंदा सीआर नं0— 108112300097552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	नसीमा खातून पिता— मुमताज अहमद ग्राम— आबगीला वार्ड 03 पो0+थाना— सहार जिला— भोजपुर सीआर न0— 108112501988528	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	रुणता देवी पति— श्याम सुन्दर सिंह ग्राम— परमा वार्ड 03 पो0— परमा थाना— नारदीगज जिला— नवादा सीआर न0— 108112501606994	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	कनक देवी पति— कुशेश्वर सिंह ग्राम— पाठकचक वार्ड 11 पो0— पाठकचक थाना— सिकन्दरा जिला— जमुई सीआर नं0— 108112502113851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	मनोज कुमार पिता— शिवनाथ ठाकुर ग्राम— रसूलपुर जुनेदा वार्ड 06 पो0+थाना— मोतीपुर जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न0— 108112502109285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	सजीव कुमार पिता- उपेन्द्र प्रसाद ग्राम- चकमुना पो0- जूनियार थाना- हिलसा जिला- नालदा सीआर न0- 108112400644551	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	सोमा देवी पति- सुधीर कुमार सिंह ग्राम- शकरपट्टी वार्ड 03 पो0- महमदगंज थाना- छातापुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501861307	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	उर्मिला देवी पति- शकर महतो ग्राम- बिशनपुर आभी वार्ड 09 पो0- बिशनपुर आभी थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112502105400	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	परिया देवी पति- राम प्रवेश जमादार ग्राम- भानु बिगहा वार्ड 05 पो0- ओरियावां थाना- एकंगर साराय जिला- नालदा सीआर न0- 108112501917094	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	सावित्री देवी पति- सूरजदेव यादव ग्राम- धीनधोरबिगहा पो0+थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112501745056	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	अरुण कुमार पिता- भूमि प्रसाद यादव ग्राम- तामोट परसा वार्ड 08 पो0- तमोट परसा थाना- मुरलीगज जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112501622973	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	हीरामती देवी पति- पहवारी साहनी ग्राम- धवही वार्ड 11 पो0- धवही बाजार थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112501326517	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	मुन्ना देवी पति- धवन बैठा ग्राम- सुल्तानपुर पो0- पडरिया थाना- बघैला जिला- रोहतास सीआर नं0- 108112500689004	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
41	यशोदा देवी पति- टुदटुन महतो ग्राम- रामपुर वार्ड 08 पो0+थाना- बारिसनगर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112500923384	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
42	कृष्ण प्रसाद मडल पिता- दयाराम मडल ग्राम- दीवानगज पो0- चिलौनी थाना- प्रतापगज जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112501286841	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
43	रीता देवी पति- महेश नारायण तिवारी ग्राम- बरियारपुर कध वार्ड 13 पो0+थाना- बरियारपुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112502217410	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
44	ढलाय पडित पिता- चुमन पडित ग्राम- मरीचा वार्ड 12 पो0- बकौर थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112502018891	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
45	आरती देवी पति- मनोज सिंह ग्राम- मानोपाली वार्ड 14 पो0- मानोपाली थाना- सहाजितपुर जिला- सारण सीआर नं0- 108112502373861	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति मे ।
46	अकाश कुमार पिता- सुधीर कुमार ग्राम- मोरकाही पो0- दुर्गापुर थाना- मुफ्फसिल जिला- खगडिया सीआर नं0- 108112502250646	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत ।

47	मिथिलेश दास पिता- विनेश्वर दास ग्राम- पाइबीधा वार्ड 10 पो0- पाइबीधा थाना- पैविधा बेलागज जिला- गयाजी सीआर न0- 108112401589456	हीप रिफ्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
48	सुनीता देवी पति- अजय कुमार ग्राम- मलिया घाट वार्ड 15 पो0+थाना- मोकामा जिला- पटना सीआर न0- 108112501970084	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
49	अनीस पिता- स्व0 सईद ग्राम- महेन्द्र वार्ड 41 पो0- महेन्द्र थाना- पीरबहोर जिला- पटना सीआर न0- 108112300544834	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
50	नीलम देवी पति- सुरेद्र चौधरी ग्राम- धोबोपुर बसारा वार्ड 18 पो0- किशनपु बैकुंठ थाना- हायाघाट जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501614334	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
51	श्रीनारायण शर्मा पिता- स्व0 शिव प्रसाद शर्मा ग्राम- बरबन्ना वार्ड 12 पो0+थाना- लालगज जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501796734	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
52	सत्येन्द्र कुमार सिंह पिता- जुगेशर सिंह ग्राम- माधोपुर गोविन्द वार्ड 08 पो0- मेहसी थाना- चकिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500488572	Cataract Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
53	सुनील कुमार पिता- चामो ठाकुर ग्राम- बुढनीचक पो0+थाना- बाढ जिला- पटना सीआर न0- 108112502095705	Cataract Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

54	रजिया खातुन पति-काशिम आलम ग्राम-नहरी पो0-लौकही थाना-लौकहा जिला-मधुबनी सीआरन0-108112501740798	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	सजय बिंद पिता-बालदेव बिंद ग्राम-लखना पोस्ट-कजरा थाना-कजरा जिला-लखीसराय सीआरन0-108112500591039	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	पिन्टु कुमार अकेला पिता-दीन दयाल प्रसाद ग्राम-टीमलपुर पो0-सैदाबाद थाना-पाली जिला-जहानाबाद सीआरन0-108112501315451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	राज नारायण प्रसाद यादव पिता-ओम प्रकाश राय ग्राम-आटा वार्ड 11 पो0-आटा थाना-मढौरा जिला सारण सीआरन0-108112501846987	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	देबो मुखिया पिता- जगन मुखिया ग्राम-बासबीट्टी वार्ड 05 पो0-बासबीट्टी थाना+जिला सुपौल सीआरन0-108112300228673	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	विजय कुमार ठाकुर पिता-नामो नारायण ठाकुर ग्राम-पो0-सिरुआ थाना-बहेरी जिला-दरभंगा सीआरन0-108112502084975	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	नजमा खातुन पति-मो0 एजाजुल हक ग्राम-दिबरा वार्ड 13 पो0+ थाना-नवहट्टा जिला-सहरसा सीआरन0-108112501396957	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	साजीद पिता-कलीम ग्राम-तुरकैली पो0-गेरकी थाना-जोकीहाट जिला-अररिया सीआरन0-108112501587256	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	कौशलया देवी पति-श्याम यादव ग्राम+पो0-जदिया थाना-जदिया जिला-सुपौल सीआरन0-108112400227441	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	फुलो देवी पति-राम आशिष पंडित ग्राम-देवधा मध्य पोखरी टोला पो0+थाना देवधा जिला-मधुबनी सीआरन0-108112502052712	कैसर रोग	80,000.	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	उर्मिला देवी पति-सुमेश्वर नाथ शर्मा ग्राम-चदा वार्ड 7 पो0-मैनपुरा चंदा थाना-मेहदिया जिला अरवल सीआरन0-108112502222502	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	नन्द किशोर प्रसाद पिता-मदन प्रसाद ग्राम-लक्ष्मीपुर दोन पो0-नौरगिया दोन थाना-गोबरहिया जिला-प0 चम्पारण सीआरन0-108112502491155	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	हरे राम चौधरी पिता-राम खेलावन चौधरी ग्राम-पतैली पूर्वी पो0-पतैली थाना उजियारपुर जिला समस्तीपुर सीआरन0-108112502149376	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	पवन देवी पति-राम कुमार यादव ग्राम-दिघिया पो0-बी0 एस0 पट्टी थाना-सहरसा जिला-सहरसा सीआरन0-108112502072055	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	भरत चौधरी पिता-राम चरित्र चौधरी ग्राम-मकसपुर वार्ड 12 पो-श्रीपुर थाना-चेरिया बरयारपुर जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112502141197	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	शकर राम पिता-चुल्हाई राम ग्राम-अदौरी पो0-अदौरी थाना-पुरनहिया जिला-शिवहर सीआरन0-108112502100296	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	सविता देवी पति-अमरेन्द्र कुमार यादव ग्राम-मधुरा दक्षिण पो0-नरपतगज थाना-नरपतगंज जिला अररिया सीआरन0-108112501900353	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	शैल देवी पति-संतोष शर्मा ग्राम-बरहिमा वार्ड 05 पो0-बरहिमा थाना-सिधवलिया जिला-गोपालगंज सीआरन0-108112300325601	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	राम पदारथ प्रसाद पिता-स्व0 अवध बिहारी लाल ग्राम-रामगढ वार्ड 02 पो0-रामगढ थाना-'रामगढ चौक जिला-लखीसराय सीआरन0-108112502134816	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	शांति देवी पति-कृष्णदेव पंजियार ग्राम-रतनपट्टी पो0-रतनपट्टी थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112502018743	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	गुलाब देवी पति-जागेश्वर राम ग्राम-बलुआहा पो0-महपतिया थाना-भेजा जिला-मधुबनी सीआरन0-108112502035681	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	सुधीर कुमार यादव पिता-प्रकाश यादव ग्राम-मीनापुर पो0-हाजीपुर थाना-'हाजीपुर जिला वैशाली सीआरन0-108112502391151	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	गिरजा देवी पति-स्व0 नारायण प्रसाद ग्राम-शकर चौक वार्ड 14 पो0-सहरसा थाना+जिला सहरसा सीआरन0-108112402985118	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	तिलो पासवान पिता-मुनी लाल पासवान ग्राम-लाभगांव वार्ड 07 पो0-लाभगाव थाना-जिला खगडिया सीआरन0-108112500674635	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	बलराम राउत पिता-बौधु राउत ग्राम-बिंद वार्ड 11 पो0-बिंद थाना-बिंद जिला नालदा सीआरन0-108112501563586	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	शीला देवी पति-सुरेन्द्र राम ग्राम-प्यारेपुर पो0 खेसराही थाना बलिगांव जिला-वैशाली सीआरन0-108112500795505	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	उमा देवी पति-सत्य नारायण यादव ग्राम-सिटकीया पो0-घैलाढ थाना-घैलाढ जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112501945249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	सीमा सिन्हा पति सजय कुमार सिन्हा ग्राम-ए0जी0 कोलनी पो0-आशियाना नगर थाना-शास्त्री नगर जिला पटना सीआरन0-108112402974159	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	सिसु देवी पति-अभिरमण कुमार ग्राम नारायणपुर पोस्ट-नारायणपुर थाना-भपटियाही जिला-सुपौल सीआरन0-108112501685908	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	शशि कुमार पिता-ओम प्रकाश यादव ग्राम-सिमली शाहरदा पटना सिटी पो0-माधव मिल्स थाना-मालसलामी जिला पटना सीआरन0-108112300039544	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	समुद्री देवी पति-शकर राय ग्राम+पो0-दयालपुर थाना-राजापाकर जिला वैशाली सीआरन0-108112502044019	कैंसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
85	मुकेश कुमार सिंह पिता-स्व0 मधुसुदन प्र0 सिंह ग्राम-पुरारी जक्कनपुर देवी स्थान,पोस्ट-जी0जी0ओ0 थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना सीआरन0-108112402531753	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			68,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 68,95,000/- (अरसठ लाख पन्चानवें हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2715(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

महावीर आरोग्य सस्थान,

नीयर चिरैयाटाड ओवर ब्रिज,

अपोजीट पेट्रोल पम्प,

ककडबाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जानकी देवी पति— लखींद्र राय ग्राम— मझौली वार्ड 03 पो0+थाना— बिदुपुर जिला— वैशाली रजि नं0— 2526/19878	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	कृष्णा गिरी पिता— विशुनदेव गिरी ग्राम— बिशुनपुरा वार्ड 11 पो0— गौरा थाना— गौरा बाजार जिला— सारण रजि नं0— 2526/19879	हृदय रोग एवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	मो० रेयाज हुसैन पिता— साबिर हुसैन ग्राम+पो0— इटवा थाना— मोहनपुर जिला— गयाजी रजि नं0— 2526/19885	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,70,000/- (तीन लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०—1843085503 खाता

धारक का नाम—निदेशक”महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20 “
खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया,
चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / —

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 27/6/14)

पटना, दिनांक

24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका—2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,

कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुकेश कुमार सिंह पिता- शिवराज सिंह ग्राम+पो०- रामपुर कला थाना- खैरा जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	राजकुमार यादव पिता- बिष्णुदेव यादव ग्राम- नोनगढ़ पो०+थाना- तैतरहाट जिला- लखीसराय	हृदय रोग एमवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	मानिकलाल मंडल पिता- शुभकरण मंडल ग्राम- फुलकाही पो०- मुरली थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी	हृदय रोग एमवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
4	कौशल्या देवी पति- अनिल कुमार ग्राम- भेलावर पो०- तेजबीगहा थाना- काको जिला- जहानाबाद	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	रूपम कुमारी पति- अभिजीत कुमार चौधरी ग्राम+पो०- तिरा जटमलपुर थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग एमवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

6	सुमेश कुमार पिता— स्व० राम सिद्ध सिंह ग्राम— मिशन रोड पकडी पो०— नवादा थाना— आरा नवादा जिला— भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			7,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,05,000/- (सात लाख पाँच हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 177001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम— "निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार— चालू, बैंक का नाम— इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम— कंकड़बाग, पटना (1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 24/9/2025

ज्ञापक 2717(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 177001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नन्द लाल गुप्ता पिता-प्रेमचंद प्रसाद ग्राम-स्टेशन रोड बिहिया पोस्ट-बिहिया थाना-बिहियां जिला-भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	अविनाश कुमार सिंह पिता- अशोक कुमार सिंह ग्राम+पो0- शुम्भा डयोढी थाना- सिंधिआ जिला- समस्तीपुर	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	मौ० अनवर पिता- मौ० इंदु ग्राम- पटना साहेब नून का चौराहा कधैया टोला वार्ड 64 पो०- झाउगंज थाना- खाजेकला जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सुनील कुमार पिता- स्व० जुलन पाण्डेय ग्राम- सालिमपुर अहरा कदमकुआ पो०+थाना- कदमकुआ जिला- पटना	ब्रेन न्यूरो सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			3,35,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स० 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 . ~~197001~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2718(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~197001~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय कुमार पिता- स्व० राम लखन यादव ग्राम- एम इ जी सेक्टर 07 पो०- बी०एच० कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	किरण कुमारी पिता- रामचंद्र साह ग्राम- करन सराय पो०+थाना- सासाराम जिला- रोहतास	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अबू रेशा पिता- स्व० मो० सफीर उद्दीन ग्राम- महुआ टोला पो०+थाना- शोहसराय जिला- नालंदा	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	पप्पु कुमार पिता- सुरेद्र राय ग्राम+पो०- जिल्काबाद थाना- गरखा जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
5	गिरजा देवी पति- उपेद्र सिंह ग्राम+पो०- धर्मपुर बांदा थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।



6	मुन्नी देवी पति- रामचन्दन राण ग्राम- बाहरी धवलपुरा पो0- बेगमपुर थाना- बाईपास जिला- पटना	हृदय रोग एमवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 5,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,95,000/-(पाँच लाख पन्चानवें हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 177001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2719(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 177001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रशांत कुमार मिश्रा पिता—चितरंजन मिश्रा ग्राम—सुल्तानपुर पुरब वार्ड 10 पोस्ट—सुल्तानपुर पुरब थाना—मोहउद्दीन नगर जिला—समस्तीपुर रजि नं०— अंकित नहीं है।	Laparoscopic Appedicectomy	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
2	बबिता देवी पति— जयपाल राय ग्राम— जैतिया बाजीपुर वार्ड 16 पो०— मेहरौली थाना— डोरीगंज जिला— सारण यूएचआईडी नं०— 3000566076	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	राम सुदिन महतो पिता— राम देव महतो ग्राम— कस्टोली वार्ड 06 पो०— समसा थाना— मंसूरचक जिला— बेगूसराय यूएचआईडी नं०— 3000588748	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	अशोक कुमार सिंह पिता— चंदेश्वर सिंह ग्राम— पहाडी चक वार्ड 04 पो०+थाना— सोनपुर जिला— सारण यूएचआईडी नं०— 3000599655	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	रेनू देवी पति— सुरेश राय ग्राम— बैकटपुर वार्ड 10 पो०+थाना— खुसरूपुर जिला— पटना यूएचआईडी नं०— 3000590230	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	राजीव कुमार रजन पिता- रामजी यादव ग्राम- खेमतरनी सीन पो0+थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय यूएचआईडी न0- 3000596872	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			2,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,90,000/- (दो लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 1978001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2720(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 1978001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पप्पु कुमार पिता-विद्या रजक ग्राम-भोला पासवान शास्त्री बावन आशियाना नगर पो०-आशियाना नगर थाना-राजीव नगर जिला पटना	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	सालु कुमारी पिता-बिनेश साह ग्राम-मथुरिया पो०-बिहारशरीफ थाना-लहेरी जिला-नालदा	हिप रिप्लेस्मेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता-राम लगन सिंह ग्राम-बहपुरा पो०-बहपुरा थाना-बिहटा जिला पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	अंकु कुमारी पिता-विनोद यादव ग्राम-बलाहा पोस्ट-बलाहा थाना-भवानीपुर ओपी० जिला-भागलपुर	स्पाईन सर्जरी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

5	रेनू देवी पति— स्व० सुभाश राय ग्राम— शकरपुर पो०— गगहारा थाना— शाहपुर जिला— पटना	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
6	राम प्रवेश यादव पिता— कामदेव यादव ग्राम— खिरीडीह पो०— केन्डुआ थाना— हवेली खडगपुर जिला— मुगोर	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	मो० मुस्ताताब आलम पिता— मो० अयूब ग्राम— शिवगज कृषि बाजार रोड पो०— नरकटियागज थाना— शिकारपुर जिला— पश्चिम चम्पारण	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
8	साजन कुमार पिता— जयनारायण राम ग्राम— महमदपुर लालसे पो०— महमदपुर बदल थाना— सकरा जिला— मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सजय राम पिता— अर्जुन राम ग्राम+पो०— पावा थाना— दीपनगर जिला— नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	बृजनंदन प्रसाद पिता— जगरनाथ महतो ग्राम+पो०— छटियारा थाना— करंडे जिला— शेखपुरा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			9,75,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,75,000/- (नौ लाख पचहत्तर हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-39196290026 खाता धारक का नाम—KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2721 (14)

पटना, दिनांक

26/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय साहनी पिता- रवि साहनी ग्राम- यदु पिपरा पो०- हरहाचा थाना- बहेडी जिला- दरभंगा	ड्राप्मा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	रीता देवी पति- मनोज कुमार सिंह ग्राम- नवटोल पो०- किशनपुर बैकुंठ थाना- वारिसनगर जिला- समस्तीपुर	ड्राप्मा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	मो० फिरोज आलम पिता- मो० अख्तर ग्राम- दुमदुमा पो०+थाना- लेहेरियासराय जिला- दरभंगा	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	राहुल कुमार मंडल पिता- रामकुमार मंडल ग्राम- हरिराहा पो०- बेलही भवानीपुर थाना- लौकही जिला- मधुबनी	ड्राप्मा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
5	मयक कुमार झा पिता- रविशंकर झा ग्राम- अशोक बिहार कॉलोनी रोड पो०- चांद चौरा थाना- चन्दौती जिला- गया	ड्राप्मा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

6	श्रेयश कुमार पिता- रामु लाल दास ग्राम+पो0+थाना- केवटी जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत
7	बॉबीदेवल पिता- लक्ष्मण दास ग्राम+पो0- कलीगांव थाना- सिघवाडा जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	बाल मुकुद मल्लिक पिता- अवध नारायण मल्लिक ग्राम- सुंदर पुर बीरा पो0- बासुदेव थाना- ल0ना0वि0वि0 जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	कुदन कुमार मडल पिता- मिथलेश मडल ग्राम- दाखरम पो0- पौरी थाना- बहेडा जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	रामचंद्र यादव पिता- तेतर यादव ग्राम- निहालपुर पो0- लालशाहपुर थाना- मब्बी जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	राजेश कुमार पिता- बैद्वयनाथ राय ग्राम- उखरा पो0- परसरा थाना- विशनपुर जिला- दरभंगा	द्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
12	शुभद्रा देवी पति- रमानाथ झा ग्राम+पो0- ठाढी थाना- अन्द्राटारही जिला- मधुबनी	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	लालो साहु पिता- लोचन साहु ग्राम- हाटी पो0+ बैक थाना- बिरौल जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

14	बीरेन्द्र यादव पिता- उत्तम यादव ग्राम- पबरा पो- अकोना थाना- सिंघिआ जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 7,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 197001... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गार्थ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 24/9/2025

ज्ञापांक

2722(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०... 197001... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रुचि रोजी पति- रमन कुमार पांडेय ग्राम- रहिका टोला पो0+थाना- अररिया जिला- अररिया	PPH, AKI, SOB	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			75,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 75,000/- (पचहत्तर हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 177001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्राच, डाकबंगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है।
उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2723 (14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० .../197001... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्ण नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० जमशेद पिता- मो वाली अहमद ग्राम- डिग्रहा पो०- बेल थाना- ओबरा जिला- औरंगाबाद	(BMG Urethroplasty)	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सरिता देवी पति- सत्येंद्र कुमार ग्राम+पो०- भारथु थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	Ureteric Reimplantation	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	निर्मला देवी पिता- स्व० रामएकबाल सिंह ग्राम+पो०- सिसई थाना- गोरेयाकोठी जिला- सिवान	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	कमली देवी पति- ठाकुरदेव दास ग्राम- पपरेवा पो०- सुपाहा थाना- कटोरिया जिला- बाका	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	जवाहर लाल पिता- प्रसिद्ध नारायण शर्मा ग्राम- मखदुमपुर पो०+थाना- पौथू जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	पन्नालाल साह पिता- रामदेव साह ग्राम- बाकी टीकम पो0- गुलवारा मधुबन थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	सुलेखा देवी पति- पशुपति नाथ ग्राम- लाइन पार मिर्जापुर पो0+थाना- नवादा जिला- नवादा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	कौशलेन्द्र सिंह पिता- सरोवर सिंह ग्राम- बढिया वार्ड 03 पो0- सरमेरा थाना- सरमेरा जिला- नालदा	हृदय रोग एवीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
9	मो0 मुमताज वारसी पिता- मो0 इस्तखर वारसी ग्राम- काँटी कोटिया पो0+थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	सगीता देवी पति- विश्वनाथ सिंह ग्राम- गोहपुर पो0- गोहपुर बजरहिया थाना- जी0बी0 नगर जिला- सिवान	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
11	हरिचरण ठाकुर पिता- मुन्नू ठाकुर ग्राम- खमीदौरा पो0+थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
12	रजीत कुमार पिता- स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- चकनवारा पो0- ओप थाना- औगारी जिला- नालदा	CKD/RHD	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			10,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 10,40,000/- (दस लाख चालीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ

इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2724 (14)

पटना, दिनांक

24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...197001...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रन्नु कुमार पिता- नागेन्द्र सिंह ग्राम- बिन्दौली पो०- मसाढी थाना- गौरीचक जिला- पटना	Tympanoplasty	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 177001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम- "अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड स० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2725(14)

पटना, दिनांक 24/9/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०....197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० सावीर पिता- अब्दुल रज्जाक ग्राम- पुरानी ईदगाह रहीमाबाद पो०- रहीमाबाद थाना- बंगरा जिला- समस्तीपुर	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	ठाकुरदास महापात्र पिता- अनादि नाथ महापात्र ग्राम- घाघा गली चौक पो०- झाउगंज थाना- खाजेकला जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	मानकी मिस्त्री पिता- स्व० अमृत मिस्त्री ग्राम- भीखमपुर पो०+थाना- रुपौ जिला- नवादा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मंजू देवी पति- राजेश्वर राम ग्राम+पो०- अरौरा थाना- देव जिला- औरंगाबाद	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

5	छोटू कुमार पिता- श्याम बाबू साव ग्राम- बीबीगज भट्टा रोड वार्ड 18 पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
6	मोती साव पिता- स्व0 रामचंदर साव ग्राम- बाकीपुर गोरख पो0+थाना- फतुआ जिला- पटना	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
7	अनीता देवी पति- सिकेन्द्र यादव ग्राम- गरहा पो0- बरियाही थाना- शकरपुर जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत ।
8	अनीता मिश्रा पति- प्रभात कुमार मिश्रा ग्राम- यारपुर राजपुताना गर्दनीबाग पो0- जी0पी0ओ0 थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	राजेश कुमार पिता- स्व0 महेंद्र राय ग्राम- राजापुर मैनपुरा पो0- जी0पी0ओ0 थाना- एस0के0 पुरी जिला- पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
10	रामबाबू साह पिता- ब्रह्मदेव साव ग्राम- जगदम्बा कॉलोनी रामकृष्णा नगर पो0- न्यू जगनपुरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
11	गायत्री देवी पति- राम नरेश चौधरी ग्राम- पतैली पूर्वी पो0- पतैली थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
12	नाहेदी खातून पिता- अब्दुल रज्जाक ग्राम- मिलिकटोला पो0- खोक्सा थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।

13	हाफिजूल खान पिता- सुलेमान खान ग्राम+पो0- बरहँदा थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	मुन्नी देवी पति- हिरा लाल ग्राम- तरी मोहल्ला पो0+थाना- आरा जिला- भोजपुर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
15	संगीता देवी पति- विद्यानंद कुमार प्रभाकर ग्राम+पो0- बसरा थाना- राजापाकर जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			9,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,10,000/- (नौ लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुपयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2726(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
24/9/25

स० सं० 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनुपम रजन पिता- विषष्ट तिवारी ग्राम+पो०- चडरहीया थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
2	मो० अजीम पिता- मो० नईम ग्राम- बनसिटिकर वार्ड 03 पो०- जिच्छो बिशनपुर थाना- सबौर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	प्रमोद महतो पिता- महादेव महतो ग्राम- अहवर मझरिया शेखौना वार्ड 46 पो०- पिपरा पकडी थाना- मुफरिसल जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
4	मो० कलाम पिता- मो० इस्लाम ग्राम- मटरू मिया जी लेन वार्ड 05 पो०+थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	अजना कुमारी पति- स्व० बिनोद राय ग्राम- रामभद्र पो०- हजर थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	सबरी कुमारी पति- रबू कुमार ग्राम- पोखरपर वार्ड 10 पो०- बकावां थाना- भदौर जिला- पटना	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत ।
7	बेसर देवी पति- राजकुमार कामत ग्राम+पो०+थाना- लालमनियों जिला- मधुबनी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	फूलमंती देवी पति- जयराम राम ग्राम+पो०- कोर्ना थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	चन्द्रिका सिंह पिता- स्व० सीतल सिंह ग्राम- उसरी वार्ड 06 पो०- सोहिलपट्टी थाना- बसतपुर जिला- सिवान	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत ।
10	पिकी देवी पति- रवि कुमार ग्राम- मिल्कीचक 2 वार्ड 01 पो०- जानकीनगर थाना- नयारामनगर जिला- मुगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	रामा नन्द सिंह पिता- चद्र सिंह ग्राम- मखदुमपुर वार्ड 22ए पो०- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
12	अब्दुस सलाम पिता- अब्दुल लतीफ ग्राम- डुमरिया वार्ड 03 पो०+थाना- पौआखाली जिला- किशनगज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
13	गफफार पिता- स्व० अनवर ग्राम- अजामपुर पो०- मगाचक थाना- सन्हौला जिला- भागलपुर	कैसर रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत ।



14	निशात अजुम पति- मो० दानिश खान ग्राम- बहेरा वार्ड 15 पो०- हरदवन थाना-बहेरा जिला- गयाजी	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			9,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,25,000/- (नौ लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैंसर सेटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 27/27 (14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेहाना बेगम पति- मो० सहाबुद्दीन असांरी ग्राम- मोबारकपुर वार्ड 10 पो०- गुण्डी थाना- कृष्णागढ जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	इन्दु देवी पति- महेन्द्र पोद्दार ग्राम- हफलगज पो०- सिरनिया थाना- मुफ्फसिल जिला- कटिहार	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रामदयाल सिंह पिता- इन्द्रासन सिंह ग्राम- टोले गंजपर पो०+थाना- एकमा जिला- सारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	रिंकू देवी पति- आनंद कुमार ग्राम- रूपसपुर पो०- धनौत थाना- रूपसपुर जिल- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	रामसज्जन साह पिता- स्व० चूल्हाई साह ग्राम-चोरौत टोला खारी पो०+थाना- चोरौत जिला- सीतामढी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	सीता देवी पति— सीताराम साह ग्राम+पो0+थाना— रून्नीसैदपुर जिला— सीतामढ़ी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
			4,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,20,000/- (चार लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर' खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2728/14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 197001 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
डा० बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि०) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लीला देवी पति- अनीशो प्रसाद ग्राम- बघवा गली नियर हनुमान मंदिर पो०+थाना- आरा जिला- भोजपुर	Lap Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	महावीर पाण्डेय पिता-उमा शंकर पाण्डेय ग्राम-मेला रोड बिहिया वार्ड 3 पो०-बिहिया थाना-बिहिया जिला-भोजपुर	Lap Cholecystectomy	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
			₹ 65,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 65,000/- (पैंसठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग कनोल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड स० BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2729 (14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 1.97001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेद्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुद्रिका प्रसाद पिता— महेश राय ग्राम— चम्पापुर पो0+थाना— बख्तियारपुर जिला— पटना	Nephro Treatment	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सुनील कुमार पिता— रामलहवर भगत ग्राम— छत्रपट्टी पो0— हरनाही थाना— बरुराज जिला— मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197001.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-1714354694 खाता धारक का नाम—"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स0— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2730/14

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 177001...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सक निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उमेश कुमार पिता- सोनेलाल साह ग्राम+पो0- फतेहपुर थाना- मुसरीघरारी जिला- समस्तीपुर	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	शिव शंकर सिंह पिता- सुखला सिंह ग्राम- फतेहपुर वाला पो0- ताजपुर बड़ा थाना- मुसरीघरारी जिला- समस्तीपुर	स्पाइन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,25,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 177001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 33569032861 खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 24/9/2025

ज्ञापक

2731(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गोपाल कुमार पिता-श्याम बाबु राय ग्राम-नदीपर सगुना नया टोला पो०-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना	ब्रेन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 177001 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2732(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 197001.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय -- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुरेश राय पिता-स्व० रामएकबाल राय ग्राम-बालादास मठ के पीछे पो०-हाजीपुर थाना-नगर जिला-वैशाली केस फाईल नं०- 11 एफ 2023/023102	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
2	बेबी पल्लवी कुमारी पिता- अर्जुन कुमार ग्राम+पो०- जरौली थाना- पिपरा जिला- सुपौल केस फाईल न०- 19 एफ 2025/004356	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अरुण कुमार राय पिता- हरदेव राय ग्राम- लाइन बाजार जानकी नगर पो०- चौपरा बाजार थाना- जानकी नगर जिला- पूर्णियाँ केस फाईल न०- 11 एफ 2024/039369	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

4	नानया देवी पति- अर्जुन चौधरी ग्राम+पो0+थाना- रहिका जिला- मधुबनी केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/003306	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
5	सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी पिता- स्व0 राम रतन चौधरी ग्राम- आमगोला नाका नं0 के पीछे पो0- रमना, थाना- काजी मोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19 एफ 2023/004989	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	मुन्ना सिंह पिता- रामगुलाम सिंह ग्राम- सुरुमपुर पो0+थाना- सिलाव जिला- नालदा केस फाईल नं0- 19 एफ 2024/005576	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सबा साहनी पिता- रामदेव साहनी ग्राम+पो0- लतरहियाँ थाना- परसा जिला- सारण केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/004651	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सुगनी देवी पति- शिवशकर यादव ग्राम- नवादा मनिऔरी पो0+थाना- मेहुश जिला- शेखपुरा केस फाईल नं0- 11 एफ2025/018408	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सीमा देवी पति- शशि कुमार चौधरी ग्राम- बरुराज डकही पो0+थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- केई/82152	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मो0 शमीमुल पिता- मो0 हाफिज ग्राम+पो0- रक्सिया थाना- रुन्नीसैदपुर जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/003281	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

11	मृदुला सिन्हा पति- अखिलेश प्रसाद सिंह ग्राम- चक्कर चादमारी पो0- प्रधान थाना- काजी मोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ2024 / 000136	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	बॉबी कुमार पिता- गंगा सहनी ग्राम- बिशनपुर मलहटोली पो0- बिशनपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2025 / 003500	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	एकरामुल हक पिता- अब्दुल वाहिद ग्राम+पो0- रतवारा थाना- कलयाणपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2023 / 004433	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	विजय रविदास पिता- स्व0 फागुन रविदास ग्राम- अब्दुलपुर पररिया पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा केस फाईल न0- 11 एफ 2025 / 004426	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			10,60,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,60,000/- (दस लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **197001** ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2733(14)

पटना, दिनांक 24/9/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशियन सिटी अस्पताल
पी० एम मॉल, पाटलीपुत्रा
इंडस्ट्रियल ऐरिया
पटना 800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुती देवी पति- अर्जुन राम ग्राम- नेहरू नगर पो०+थाना- पाटलीपुत्रा जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			₹ 85,000/-	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-020384600000324 खाता धारक का नाम BLUE SAPPHIRE HEALTH CARES PVT.LTD. Payable at Patna खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- YES BANK शाखा का नाम यश बैंक लि०, ग्राउंड फ्लोर ए-11/33 अलकार सिनेमा रोड, लाजपत नगर-II नई दिल्ली-110024 RTGS/IFSC कोड स० YESB0000203 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।



4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2734(14)

पटना, दिनांक 24/9/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं०. 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

2735(11)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza. Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक 24/9/2025

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	हरिलाल राय पिता— चलितर राय ग्राम— गंगा प्रसाद वार्ड 06 पो०— सीतानाबाद थाना— सिमरीबख्तिवारपुर जिला— सहरसा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	मजू देवी पति— किशोर यादव ग्राम— उसरीपुर वार्ड 08 पो०+थाना— बेन जिला— नालदा	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,60,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2735(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	होरिल चौपाल पिता गणेश चौपाल ग्राम-मकरदा वार्ड 8 पोस्ट+थाना-मनीगाछी जिला-दरभंगा	हृदय रोग एसडी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	धर्मशीला देवी पति- दिलीप पासवान ग्राम- भेडिया वार्ड 15 पो०- रानीसागर थाना- शाहपुर, जिला- भोजपुर	हृदय रोग एमवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	रघुनाथ प्रसाद पिता- रुपलाल चौधरी ग्राम- जेटुई निजामत पो०+थाना- औद्योगिक क्षेत्र जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,85,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 177001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।



3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० /

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2736(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 19700 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

Dr Prabhat Memorial Hiramati Hospital,
Plot No 106/107-B, Road No.
(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,
Patna 800016

पटना, दिनांक

विषय -- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शबनम देवी पति- सुधीर सिंह ग्राम- मंगलपुर पो०- पटनी थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	सुलेखा देवी पति- ललन कुमार ग्राम+पो०- गोनावान थाना- हरनौत जिला- नालदा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	देवनाथ सिंह पिता- राज बल्लम सिंह ग्राम- अलीपुर मुकुद पो०- हसनपुर भदवास थाना- महुआ जिला- वैशाली	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रूबी देवी पति- राजू राम ग्राम- सिंहमा पो०- बथुआ बुजुर्ग थाना- मुसरीघरारी जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	मो० गालिब पिता- मो० शाहिद ग्राम- सरायरजन टोला सलहा पो०- बरबट्टा थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
6	रामचंद्र प्रसाद पिता- रामलखन प्रसाद ग्राम- मिल रोड नवादा आरा पो०- नवादा थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर	Right One knee replacmen t	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	त्रिफुला देवी पति- अनिल दास ग्राम+पो०- फतेहपुर थाना- बलरामपुर जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			6,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,00,000/- (छःलाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 15570210003107 खाता धारक का नाम- A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UCO Bank, शाखा का नाम- Kankarbagh Patna, RTGS/IFSC कोड सं०- UCBA0001557 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2737(14)

पटना, दिनांक

24/9/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई० टी। मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
वी०एस०एल, आई केंयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	ललिता देवी पति- आलम चौहान ग्राम- तारपर सिगथु पो०- सिगथु थाना- मानपुर जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	गुला देवी पति- सहदेव माझी ग्राम- तारपर सिगथु पो०- सिगथु थाना- मानपुर जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सारो देवी पति- सरयुग यादव ग्राम- मौलानगर पो०+थाना- दीपनगर जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	महगी देवी पति- अर्जुन यादव ग्राम- मौलानगर पो०+थाना- दीपनगर जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	कमला देवी पति- लखन पासवान ग्राम- चकदुल्ला पो0- मेघी थाना- दीपनगर जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	प्यारी देवी पति- छोटू पासवान ग्राम- मनीचक पो0+थाना- दीपनगर जिला- नालंदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	सूबेदार यादव पिता- नारायण यादव ग्राम- मौला नगर पो0+थाना- दीपनगर जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	बच्चू यादव पिता- जेठन यादव ग्राम- माजीदपुर पो0+थाना- दीपनगर जिला- नालंदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	सुमित्रा देवी पति- रामदेव पंडित ग्राम- मानीचक पो0+थाना- दीपनगर जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	उपेन्द्र यादव पिता- सुकदेव यादव ग्राम- बहुआरा पो0- बिगथु थाना- मानपुर जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	महासुदरी देवी पति- बिरजू यादव ग्राम- मौलानगर पो0+थाना- दीपनगर जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	जानकी देवी पति- सिद्धेश्वर जमादार ग्राम- लालबिगहा पो0- अजनौरा, थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	सुन्दरी देवी पति- शिवन जमादार ग्राम- लालबिगहा पो0- अजनौरा थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	विरजू जमादार पिता— दाहू जमादार ग्राम— लालबिगहा पो0— अजनौरा थाना— नूरसराय जिला— नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	कमला देवी पति— कैलाश प्रसाद ग्राम— लालबिगहा पो0— अजनौरा थाना— नूरसराय जिला— नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	रामदेई देवी पति— किशोरी सिंह ग्राम— जहानपुर पो0— पभेडा थाना— धनरूआ जिला— पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	बालेश्वर रविदास पिता— दसरथ रविदास ग्राम— टरवॉ पो0— पभेडा थाना— धनरूआ जिला— पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	अनथ जमादार पिता— शकर जमादार ग्राम— टरवॉ पो0— पभेडा थाना— धनरूआ जिला— पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	विनोदी राम पिता— सुलट राम ग्राम— रसलपुर पो0— ओरियावा थाना— एकगर साराय जिला— नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	कमला देवी पति— विजय प्रसाद ग्राम— चककिल पो0— पसघी थाना— एकगरसाराय जिला— नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	महेद्र माझी पिता— रामईश्वर माझी ग्राम+पो0— नोआवा थाना— शकुराबाद जिला— जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	उषा देवी पति- वालेश्वर शर्मा ग्राम+पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	पवन कुमार पिता- राम प्रवेश शर्मा ग्राम+पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	चद्रवती देवी पति- सहदेव राम ग्राम- रसलपुर पो0- ओरियावा थाना- एकगर साराय जिला- नालंदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	चन्द्रदीप चौहान पिता- बुधू चौहान ग्राम- बेलदरिया पो0- मोहम्मदपुर थाना- अस्थवा जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	राधे चौहान पिता- महावीर चौहान ग्राम+पो0- मोहम्मदपुर थाना- अस्थवा जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	लालती देवी पति- महेद्र प्रसाद ग्राम- चकलोदिपुर पो0- ओरियावा थाना- एकगरसराय जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	मुन्ना मोची पिता- गुसहाय मोची ग्राम- रसलपुर, पो0- ओरियावा थाना- एकगरसराय जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	गनौरी मिस्त्री पिता- मुनेश्वर मिस्त्री ग्राम+पो0- महम्मदपुर थाना- अस्थवा जिला- नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
30	कामेश्वर गोप पिता- शिवनन्दन गोप ग्राम+पो0- महुआबाग थाना- अस्थवा जिला- नालंदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

31	सुलगन देवी पति- राम भगवान राय ग्राम+पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
32	चिता देवी पति- महेश चौधरी ग्राम+पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
33	कारी देवी पति- कैलाश चौहान ग्राम+पो0- महमदपुर थाना- अस्थवा जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
34	नबी रसूल पिता- अभी रुल्ला ग्राम+पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
35	बिदेश्वर प्रसाद पिता- सुखनदन महतो ग्राम+पो0- कुलहरिया थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
36	चद्रकला देवी पति- नागेश्वर लाल प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
37	बुटन महतो पिता- जयलाल महतो ग्राम+पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
38	मो0 असलम पिता- मो0 ईशा ग्राम+पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
39	मुनमुना देवी पति- राम विमल राय ग्राम+पो0- भदवार थाना- चादी जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
40	शिवलालो देवी पति- जवाहर प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
41	मुनका देवी पति- चद्रदेव विद ग्राम- जयराम बीगहा पो0- मोदनगज, थाना- ओकरी जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

42	हरिहर महतो पिता- सुखनदन महतो ग्राम+पो0- सरैया थाना- दरियापुर जिला- सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
43	सरस्वती देवी पति- विजयलाल महतो ग्राम- मनगरपाल मुर्तुजा पो0- तरवा थाना- दरियापुर जिला- सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
44	मजू देवी पति- रघुबी महतो ग्राम+पो0- सरैया थाना- दरियापुर जिला- सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
45	कृष्णा दास पिता- केशव दास ग्राम+पो0- मानपुरा थाना- दरियापुर जिला- सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
46	जतर महतो पिता- सोमार महतो ग्राम- मागरपाल पो0- तरवा थाना- दरियापुर जिला- सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
47	नागेद्र सिंह पिता- रामेश्वर सिंह ग्राम+पो0- सरैया थाना- दरियापुर जिला- सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
48	सरस्वती देवी पति- प्रभु महतो ग्राम+पो0- सरैया थाना- दरियापुर जिला- सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
49	प्रेमशीला देवी पति- पूजन राय ग्राम- मागरपाल मुर्तुजा पो0- तरवा, थाना- दरियापुर जिला- सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
50	रामदेव राय पिता- दसई राय ग्राम- मागरपाल मुर्तुजा पो0- तरवा थाना- दरियापुर जिला- सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

51	रामदेव महतो पिता- बासु महतो ग्राम+पो0- सरैया थाना- दरियापुर जिला- सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			5,10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,10,000/- (पांच लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2738(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
शेखर आई केयर एंड लेजर सेंटर
राजीव नगर रोड न०-०,
नाला पर आशियाना
पाटलीपुत्रा मार्ग केसरी नगर
पटना-800024

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जगजीवन रविदास पिता— करमु रविदास ग्राम— सुन्दरपुर पो०— नदवा थाना— धनरुआ जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	चन्द्रवीर प्रसाद यादव पिता— राजेद्र सिंह ग्राम— पोठही पो०— बसुहार थाना— पुनपुन जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 291311100000760 खाता धारक का नाम— SHEKHAR EYE CARE AND LASER CENTRE खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम— BAILEY ROAD, RTGS/IFSC कोड सं०— UBIN0829137 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2739 (14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आर्क टी/मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	बैजमती देवी पति- राजदेव रविदास ग्राम+पो०- हजरत सैन थाना- धनरुआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	सीमा कुनवर देवी पति- कृष्णा दास ग्राम+पो०- हजरत सैन थाना- धनरुआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	लालती देवी पति- गोविंद यादव ग्राम+पो०- हजरत सैन थाना- धनरुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सुकाती देवी पति- राजेन्द्र रविदास ग्राम+पो०- हजरत सैन थाना- धनरुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	कमला देवी पति- बखोरी पंडित ग्राम+पो०- हजरत सैन थाना- धनरुआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	किरण देवी पति- रमेश प्रसाद ग्राम- चक साई पो0- हजरत साई थाना- धनरूआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	कौशल्या देवी पति- अवधेश प्रसाद ग्राम- चक साई पो0- हजरत साई थाना- धनरूआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	ज्ञानेन्दु राय पिता- कलिका प्रसाद ग्राम- नीलकठ टोला गोरिया स्थान, पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	अमर प्रसाद पिता- सुरेश प्रसाद ग्राम- मोहनपुर दोघरा पो0- बहपुरा थाना- बिहटा जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	फुला देवी पति- बबन साव ग्राम- खापुरी पो0- सदावाहा थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	नुरैशी खातून पति- सहदुल मिया ग्राम- सिघारा पो0- सिघारा कोपा थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	प्यारी देवी पति- प्रवेश यादव ग्राम+पो0- हजरत साई थाना- धनरूआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	सर्वानन्द सिंह पिता- धरीक्षण राय ग्राम- सुवरमारवाह पो0- पतीला थाना- मनेर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	तेतरी देवी पति— कुनेश्वर महतो ग्राम— सुवरमारवा पो0— पतीला थाना— मनेर जिला— पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	शम्भू सिंह पिता— बाके लाल सिंह ग्राम— नया टोला गोरिया अस्थान पो0— सादिकपुर थाना— मनेर जिला— पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	सारदा देवी पति— बलेश्वर यादव ग्राम— शम्भूकुरा पो0— तिस्खोरा थाना— नौबतपुर जिला— पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	बालेश्वर यादव पिता— राजेद्र प्रसाद ग्राम— शम्भूकुरा पो0— तिस्खोरा थाना— नौबतपुर जिला— पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	विध्यानद पिता— कासो साव ग्राम— शम्भूकुरा पो0— तिस्खोरा थाना— नौबतपुर जिला— पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	दास मोची पिता— बैसाखी मोची ग्राम— शम्भूकुरा पो0— तिस्खोरा थाना— नौबतपुर जिला— पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	रामाशिश राम पिता— गनौरी राम ग्राम— शम्भूकुरा पो0— तिस्खोरा थाना— नौबतपुर जिला— पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	लक्ष्मी देवी पति— दिनेश सिंह ग्राम— हुलसी टोला पो0— रामपुर दियारा थाना— मनेर जिला— पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	श्याम बाबू राय पिता- मसुदन राय ग्राम- हुलसी टोला पो0- रामपुर दियारा थाना- मनेर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	सियामनी देवी पति- शकर पडित ग्राम- शम्भूकुरा पो0- तिस्खोरा थाना- नौबतपुर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2740(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
24/9/25

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
श्री साईं लायन्स नेत्रालय
बी०/144, पी०सी० कालोनी
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सावित्री देवी पति— स्व० लक्ष्मण पासवान ग्राम— चैलिटाल स्कूल नहर पर पो०— गुलजारबाग थाना— आलमगज जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	शिवआधार सिंह पिता— सुरेश सिंह ग्राम— नया गांव बरियारपुर पो०— तयोबपुर थाना— देसरी जिला— वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	रामजी प्रसाद पिता— ब्रिजबेलाश प्रसाद ग्राम— मनोहरपुर पो०— महिला थाना— ईटाढी जिला— बक्सर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	रामजतन सिंह पिता— स्व० रामवृक्ष सिंह ग्राम+पो०— अतरौना थाना— ईटाढी जिला— बक्सर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	भगवान दास यादव पिता— स्व० राजनाथ यादव ग्राम+पो०— अतरौना थाना— ईटाढी जिला— बक्सर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 50,000 /—	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000 /— (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं०—442320110000316 खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम— ककडवाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 274/14

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी सवधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर

अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी

पटना 801105

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शमु सिंह पिता-राधो सिंह ग्राम-लोदीपुर दनियालपुर पो0+थाना-खुसरूपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	प्रवीला देवी पति-हरि नदन पासवान ग्राम-लोदीपुर पोस्ट+थाना-खुसरूपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सुरेन्द्र साव पिता-जगत साव ग्राम-हैबतपुर लोदीपुर मसुरपुर पो0+थाना-खसरूपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	शारदा देवी पति-सहदेव पासवान ग्राम-लोदीपुर दनियालपुर पोस्ट+थाना-खसरूपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	बडन साव पिता-जाती साव ग्राम-लोदीपुर मसुरपुर पोस्ट+थाना-खसरूपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	प्रहलाद पासवान पिता-नारायण पासवान ग्राम-लोदीपुर पो0+थाना-खुसरूपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	ललिता देवी पति-अशोक साव ग्राम-लोदीपुर मसुरपुर पो0-खुसरूपुर थाना-खुसरूपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	मालती देवी पति-सुरेश पासवान ग्राम-लोदीपुर पो0+थाना खुसरूपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	लीला देवी पति-धर्मदेव दास ग्राम-हैबसपुर दनियालपुर पो0+थाना खुसरूपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	हरिनदन पासवान पिता-चिलाटरा पासवान ग्राम-लोदीपुर पोस्ट-खुसरूपुर थाना-खसरूपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	ललित ठाकुर पिता-बखोरी ठाकुर ग्राम-दनियालपुर पोस्ट+थाना खुसरूपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	अखिलेश पासवान पिता-सुगाई पासवान ग्राम-हेमजापुर पोस्ट+थाना-खसरूपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	अमरेन्द्र प्रसाद पिता- रामाधार लाल ग्राम- मुजफ्फरपुर पो0- बरुहीन थाना- सहार जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
14	देवनदन सिंह पिता- हरी सिंह ग्राम+पो0- लहसा थाना- ओबरा जिला- औरंगाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

15	लक्ष्मी देवी पति- बाल किशुन मांझी ग्राम- कल्यानपुर पो0- खलिलाबाद थाना- मसौढी जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	रुकमती देवी पति- अशोक चौहान ग्राम- सोहजान पो0+थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	मैना देवी पति- साहित यादव ग्राम- गणेश बिगहा पो0-सेवनान थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	सितावती देवी पति- राम भजन चौहान ग्राम- बेलदारीचक पो0+थाना- करौना जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	एतबार यादव पिता- नाजीर यादव ग्राम- गणेश बिगहा पो0- सेवनान थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	गिरजा देवी पति- महेन्द्र पासवान ग्राम- रसलपुर पो0+थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	नोखीलाल सिंह पिता- हरिचलन सिंह ग्राम- विशनपुर बेदौली पो0- बेदौली थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	नागेन्द्र सिंह पिता- हरिचरण सिंह ग्राम- बिशुनपुर बेदौल पो0- बेदौली थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	मुनेश्वर सिंह पिता- चलितर सिंह ग्राम- बिशुनपुर बेदौल पो0- बेदौली थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	सुनील कुमार सिंह पिता- ददन सिंह ग्राम- खराव बुजुर्ग पो0- खरांवकला थाना- सहार जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	रेखा देवी पति- दिनेश राम ग्राम- बेदौली पो0+थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	त्रिवेणी प्रसाद पिता- सीताराम राउत ग्राम- बेदौली पो0+थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	राजीव कुमार पिता- स्व0 रवि भूषण प्रसाद सिन्हा ग्राम+पो0- दीघी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	सोना देवी पिता- सनीचर दास ग्राम- चक इसा पो0- बेदालिया थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	शारदा देवी पति- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम+पो0- गढहनी थाना- करनामेपुर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
30	रूनी देवी पति- बिनोद प्रसाद ग्राम- बाकीपुर गोरख पो0+थाना- फतुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	शम्भू राम पिता- युगल राम ग्राम- बाकीपुर गोरखा पो0+थाना- फतुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

32	विनय कुमार झा पिता- नर्गदेश्वर झा ग्राम- दीघी कला वेस्ट पो0- दीघी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	सीता देवी पति- नातू चौधरी ग्राम+पो0- पिजरावा थाना- कुर्था जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	योगेन्द्र साव पिता- मोही चद साव ग्राम-धमौल पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	हेमती देवी पति- उमेश सिंह ग्राम-गहरपुर पो0+थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
36	हैदर असारी पिता- अली हसन असारी ग्राम+पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
37	रामलडू सिंह पिता- मोसाफिर सिंह ग्राम- सेलारपुर पो0- मुराई, थाना- करपी जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
38	चौद तारा देवी पति- जुगल मिस्त्री ग्राम- धमौल पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
39	डोमन माझी पिता- जुगेशर माझी ग्राम+पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
40	कान्ति देवी पति- नागेद्र सिंह ग्राम+पो0- पिजरावा थाना- कुर्था जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

41	खलिक अंसारी पिता- बासरुदिन मिया ग्राम-सलारपुर पो0+थाना- कारपी जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
42	ललन माझी पिता- बदरी माझी ग्राम- धमौल पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
43	हीरालाल पिता- कपिल देव पडित ग्राम+पो0- पिजरावा थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
44	जागेश्वर माझी पिता-जोगी माझी ग्राम-नेरथु पो0- पिजोरा थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
45	सिया यादव पिता- हरिचरण यादव ग्राम- तेतरपुर पो0+थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
46	दुखनी देवी पति- रामशीष यादव ग्राम- सलेमपुर पो0- सेरथुआ थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
47	देवमंती देवी पति- नरेश यादव ग्राम- तेतरपुर पो0- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
48	नन्हे यादव पिता- महाजन यादव ग्राम- गोही बिगहा पो0- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
49	बखोरी मांझी पिता- बालगोबिंद मांझी ग्राम- किशुन बिगहा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

	पो०- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद			
50	रूनी देवी पति- बच्चन पंडित ग्राम- नेरथुआ पो०+थाना- काको जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
51	प्रीत माझी पिता- योगी माझी ग्राम- नेरथुआ पो०- पिजौर थाना- काको जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
52	मालती देवी पति- जुगिंदर माझी ग्राम- किशुन बिगहा पो०- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
53	कुमतरि देवी पति- चनारिक यादव ग्राम- तेतरपुर पो०- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
54	रामप्रवेश यादव पिता- बच्चू यादव ग्राम- देवराज बिगहा पो०- पिजौर थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
55	सुरेश मिस्त्री पिता- नन्द लाल मिस्त्री ग्राम- नेरथुआ पो०- पिजौर थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
56	सोना देवी पति- श्याम धारी चौधरी ग्राम- मुदेरा पो०- पिजौरा थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
57	आशा देवी पति- रामश्रय यादव ग्राम- देवराज बिगहा पो०- पिजौरा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

	थाना- काको जिला- जहानाबाद			
58	प्रेमनी देवी पति- सुखदेव चौधरी ग्राम- मुदेरा पो0- पिजौरा थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
59	महापति देवी पति- बाल्मीकि चौधरी ग्राम- मुडेरा पो0- पिजौरा थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
60	पतोही माझी पिता- विशुनी माझी ग्राम- किशुनपुर पो0- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
61	रामशिष मोची पिता- श्रीनाथ दास ग्राम- किशुननगर पो0- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
62	सुरेश यादव पिता- बुनेव यादव ग्राम- गुही बिगहा पो0- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			6,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 197001 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200021671321 खाता धारक का नाम- **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC BANK**, शाखा का नाम- **Patliputra Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड सं0 **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

274214)

पटना, दिनांक

24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजिया देवी पति-रामानन्द पासवान ग्राम-नेनौरा पोस्ट+थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	बालो माझी पिता-जागो माझी ग्राम-ननौरा पोस्ट-मसौर्हा थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	शान्ति देवी पति-सर्जुन चौधरी ग्राम-नेनौरा पोस्ट-नारदीगज थाना नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	किशोर चौहान पिता-ब्रदी चौहान ग्राम-केवई पो-दहपर थाना-नुर सराय जिला नालदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	रुकमीणी देवी पति-राजमणी चौहान ग्राम-केवई पो-दहपर	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

	थाना-नुर सराय जिला नालंदा			
6	शरण माझी पिता-लक्ष्मण माझी ग्राम-केवई पो0-दहपर थाना-नुर सराय जिला नालंदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	सविता देवी पति-महेन्द्र चौहान ग्राम-केवई पो0-दहपर थाना-नुर सराय जिला नालंदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	सुगीया देवी पति-नगीना चौहान ग्राम-केवई पो0-दहपर थाना-नुर सराय जिला नालंदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	खेसाद चौहान पिता-भोला चौहान ग्राम-केवई पो0-दहपर थाना-नुर सराय जिला नालंदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	रामचन्द्र माझी पिता-गजाधर माझी ग्राम-केवई पो0-दहपर थाना-नुर सराय जिला नालंदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	कवलिसया देवी पति-बृजु पासवान ग्राम-केवई पो0-दहपर थाना-नुर सराय जिला नालंदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	प्रेमन चौहान पिता-मुनेश्वर चौहान ग्राम-कुझा पो0-सभरी थाना-नारदीगंज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

13	मीना देवी पति-कामता चौहान ग्राम-कुझा पो0-सभरी थाना-नारदीगज जिला नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
14	कौशल ठाकुर पिता-लखन ठाकुर ग्राम+पो0 पडौल थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	बबिता देवी पति-सुरेन्द्र यादव ग्राम+पो0-पडौल थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	काति देवी पति-सुदामा सिंह ग्राम-बन्धु बिगहा पोस्ट-पडौल थाना-शकुरबाद जिला जहानाबाद	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	कमोदा देवी पति-दीनानाथ यादव ग्राम-बन्धु बिगहा पोस्ट-पडौल थाना-शकुरबाद जिला जहानाबाद	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	कुन्ती देवी पति-राजनदन महतो ग्राम-बन्धु बिगहा पोस्ट-पडौल थाना-शकुरबाद जिला जहानाबाद	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	बेदामी देवी पति-पराण चौहान ग्राम-दलेलपुर पो0-नारदीगज थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	परिया देवी पति-राम विलास माझी ग्राम-नरडीहा पो0-नारदीगज थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

21	कारी देवी पति- 'फागु राजवशी ग्राम-तरुनी नेनौरा पो-मसौरहा थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
22	भरत चौधरी पिता-सरजु चौधरी ग्राम-नेनौरा पोस्ट-नारदीगज थाना नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
23	बच्चु राजबशी पिता-बन्धु राजबशी ग्राम-तरुनई नेनौरा पोस्ट-नारदीगज थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
24	चदन माझी पिता-हरि माझी ग्राम-नेनौरा पोस्ट-नारदीगज थाना नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	सुरेन्द्र राजवशी पिता-पूना राजवशी ग्राम-तरुनी पोस्ट-मसौरा थाना नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	समुद्री देवी पति-साधु राजवशी ग्राम-तरौनी नेनौरा पोस्ट-नारदीगज थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	अर्जुन राजबशी पिता-पुना राजवशी ग्राम-तरौनी नेनौरा पो-नारदीगज थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	फागु राजबशी पिता-सोमर राजवशी ग्राम-तरौनी नेनौरा पो-नारदीगज थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

29	सुनैना देवी पति-बुडबु राजवशी ग्राम-तरौनी नेनौरा पो0-नारदीगज थाना-नारदीगज जिला नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
30	सिताबिया देवी पति-अयोध्या यादव ग्राम-नेनौरा पोस्ट+थाना-नारदीगज जिला नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
31	कुलदीप चौहान पिता-शिव नारायण चौहान ग्राम-तरौनी पोस्ट-मसौर्हा थाना-नारदीगज जिला-पटना	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
32	कृष्ण राजवशी पिता-पूना राजवशी ग्राम-नेनौरा पोस्ट-नारदीगज थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
33	अलखी देवी पति-धनेश्वर राजवशी ग्राम-दरियापुर पोस्ट-नारदीगज थाना-नारदीगज जिला-नवादा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
34	युगेश्वर मिस्त्री पिता-अमृत मिस्त्री ग्राम-देवकली पोस्ट-बेलची शरीफ थाना-मानपुर जिला-नालदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
35	द्वारिका पासवान पिता-गुलाब पासवान ग्राम-बेलची शरीफ पोस्ट-बेलची शरीफ थाना-मानपुर जिला-नालदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
36	आदि यादव पिता-लाला यादव ग्राम-भोजपुर पोस्ट-बेलची शरीफ थाना-मानपुर जिला-नालदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

37	बुदेल पासवान पिता-लखन पासवान ग्राम+पो0-बेलछी शरीफ थाना-मानपुर जिला-नालदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
38	राज कुमार साव पिता-विशुन साव ग्राम-बेलछी शरीफ पो0-बेलछी शरीफ थाना-मानपुर जिला-नालदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
39	कारी देवी पति-रामनन्दन पासवान ग्राम-देवकली पो-बेलछी शरीफ थाना-मानपुर जिला-नालदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
40	सोनम देवी पति-सुबे यादव ग्राम-भोजपुर पोस्ट-बेलछी बिगहा थाना मानपुर जिला नालंदा	CATARACT surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
41	कबुतर देवी पति- गनौरी पडित ग्राम+पो0-बद्राबाद थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
42	भाजू प्रसाद पिता- मालो प्रसाद ग्राम+पो0- पचधी थाना- एकगर साराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
43	अखिलेश रविदास पिता- प्रसादी मोची ग्राम- रसुलपुर पो0- ओढीयावा थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
44	विदेश्वर प्रसाद पिता- घनश्याम प्रसाद ग्राम+पो0- बादराबाद थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
45	इन्द्रदेव पडित पिता- रघु पडित ग्राम- बदराबाद पो0- मदनपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

	थाना- एकगर सराय जिला- नालदा			
46	सविता देवी पति- गणेश चौधरी ग्राम- मुतिगज पो0- पसाढी थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
47	कसईली सिंह पिता- दीयन सिंह ग्राम- नथचक पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
48	कमला सिंह पिता- व्यास सिंह ग्राम- नथचक पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
49	मुसाफिर सिंह पिता- रघुनाथ सिंह ग्राम- नत्थाचक पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
50	मालती देवी पति- जानकी प्रसाद ग्राम- महमदपुर पो0- दुर्गाव थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
51	दोलती देवी पति- सियासरण दास ग्राम- चकाकिल पो0- दरगाव थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
52	मुर्ति देवी पति- अयोध्या प्रसाद ग्राम- पसघी मुतिगज पो0- पसघी थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

53	मालती देवी पति- लालबाबू प्रसाद ग्राम- चकाकिल पो0- घुर्गाव थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
54	सोमर रविदास पति- सरयुग रविदास ग्राम+पो0- एकगर डीह थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
55	रामरित देवी पति- विजय कुमार ग्राम- सदौली बिगहा पो0- मदनपुर थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
56	कौशल्या देवी पति- नगीना प्रसाद ग्राम+पो0- पसांघी थाना- एकगर साराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
57	कोशमी देवी पति- अशोक कुमार हग्राम- जहाचक पो0- नसाघी थाना- एकगर साराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
58	गणेश राम पिता- सुमेरी राम ग्राम- रसलपुर पो0- ओरियावा थाना- एकगर साराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
59	मनी प्रसाद पिता- बाकी प्रसाद ग्राम- जहाचक पो0- पसछ्झी थाना- एकगर साराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
60	सुखदेव सिंह पिता- उमा सिंह ग्राम- रसलपुर पो0- ओरियावा थाना- एकगर साराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

61	चिता देवी पति- महेन्द्र प्रसाद ग्राम+पो0- धुर्गाव थाना- एकगर साराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
62	माधुरी देवी पति- अवधेश राम ग्राम- रसलपुर पो0- ओरियावा थाना- एकगर साराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
63	अजीत कुमार पिता- जनू प्रसाद ग्राम- जहाचक पो0- पसघी थाना- एकगर साराय जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
64	हरद्वार पासवान पिता- टुहान पासवान ग्राम- देवकली पो0- बेलछी शरीफ थाना- मानपुर जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
65	सुरजी देवी पति- वासुदेव पासवान ग्राम- पेढुका पो0- बेलछी शरीफ थाना- मानपुर जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
66	सुनीता देवी पति- वीरजा राम ग्राम+पो0- बेलछी शरीफ थाना- मानपुर जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
67	धनराज यादव पिता- मुसी यादव ग्राम-भोजपुर पो0- बेलछी शरीफ थाना- मानपुर जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
68	धनिया देवी पति- चंदर यादव ग्राम- पढुका पो0- बेलछी शरीफ थाना- मानपुर जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

69	जगेश्वर माझी पिता- बरत मांझी ग्राम- उचिता पो0+थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
70	शिवदहीन माझी पिता- जरहु माझी ग्राम- गनानकुरा पो0- नोवां थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
71	जाकिर हुसैन पिता- साकिर हुसैन ग्राम- फरिदपुर पो0- रतनी बाजार थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
72	चमेली देवी पति- राजेश्वर बिंद ग्राम- गनानकुरा पो0+थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
73	सावित्री देवी पति- मधेश बिंद ग्राम- गनानकुरा पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
74	कान्ती देवी पति- महादेव विन्द ग्राम- गनानकुरा पो0- नोआवा थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
75	धर्मशीला देवी पति- बच्चू विन्द ग्राम- उचिता पो0+थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
76	महताब देवी पति- शिव कुमार ग्राम- अहियाचक विशुनपुर पो0- हुसेनापुर थाना- बिद जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

77	प्रयाग नोनिया पिता- धर्म सिंह नोनिया ग्राम- अहियाचक विशुनपुर पो0- हुसैनपुर थाना- बिद जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
78	जय प्रकाश चौहान पिता- रामपति चौहान ग्राम- अहियाचक विशुनपुर पो0- हुसैनपुर थाना- बिद जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
79	शरदा देवी पति- गणेश नोनिया ग्राम- विशुनपुर पो0- हुसैनपुर थाना- बिद जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
80	नारायण नोनिया पिता- राधे नोनिया ग्राम- चुनुचक विशुनपुर पो0- हुसैनपुर थाना- बिद जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
81	उमेश चौहान पिता- जीतु चौहान ग्राम- चुनुचक विशुनपुर पो0- हुसैनपुर थाना- बिद जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
82	मुन्नी नोनिया पिता- साधू नोनिया ग्राम- विशुनपुर पो0- हुसैनपुर थाना- बिद जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
			8,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,20,000/- (आठ लाख बीस हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **197001** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- **18940210000786** खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं0 UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2743(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 197001 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
24/9/25

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
नाजमा खातून
पति- मो० शफीक आलम
ग्राम- खासगज सोहसराय
पो०- सोहसराय
थाना- शोहसराय
जिला- नालदा
पिनकोड- 803118

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नाजमा खातून पति- मो० शफीक आलम ग्राम- खासगज सोहसराय पो०- सोहसराय थाना- शोहसराय जिला- नालदा पिनकोड- 803118	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 197101 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 7359501486, खाता धारक का नाम- NAZMA KHATOON, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- INDIAN BANK, शाखा का नाम- BIHARSHARIF (1763), IFSC कोड सं०- IDIB000B093 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

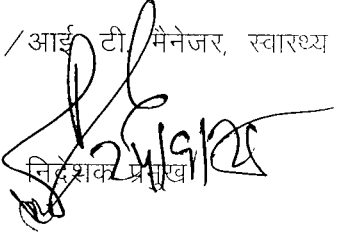
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2767(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 19704 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

नामिती का ब्योरा / Details of Nominee

पजीकृत (हॉ/नही)

Registered (Yes/No.):

यदि हॉ तो पजीकरण सं

If Yes, Reg. No.

(वैकल्पिक): / (Optional)

नाम /Name:



उपयोगी सुझाव / Useful Tips :

- अपने खाते की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर एला ई-मेल आईडी पजीकृत करें। / Register your Mobile and email-id for getting information about your account.
- आप पूछताछ आदि के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
You may call toll free number for inquiry etc.
- नियमित रूप से पासबुक अद्यतन करें। / Get pass-book updated regularly.
- जहाँ कहीं भी संभव हो स्थायी अनुदेश जारी करें। / Issue standing instructions wherever possible.
- पासबुक में कहीं भी हस्ताक्षर न करें। / Do not put signature anywhere in pass-book.
- हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। / We welcome your suggestions.
- कोई भी कठिनाई होने पर मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।
Contact branch manager in case of difficulties/Value added services.
- टोल फ्री हेल्प लाइन नं : 1800 425 00 00 हेल्प टो फ्री-सर्विस नं : 1800 425 00 00
- झूठे वादों की चपेट में न आएं। संदिग्ध वादों से सावधान रहें।
Do not fall prey to false promise beware of suspicious offers.
- कृपया अपने खाते का ब्योरा/इंटरनेट बैंकिंग के लिए अपने पासवर्ड परीक्षण डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ मायाईल बैंकिंग/ ई-सर्विस के किसी एक साधन माझा न करें।
Please do not disclose your Account details in any Banking User Id and Password ATM Debit Card Credit Card Mobile Banking Personal information to any Person.

MOHALLAH- NAI SARAI

STATION ROAD, BIHAR SHARIF

Phone No :

NALANDA DISTRICT, BIHAR इलाहाबाद

803101

Branch : BIHARSHARIF (1763)

Business Hours :

Indian Bank / भारतीय बैंक

IFSC Code : IDIB000B093

MICR Code : 803019002

Email Id : binarsharif@indianbank.co.in

PERSONAL DETAILS

PPO Number:

CIF : 30519040226

Account No : 7359501466

Name : Nazma Khatoon

PAN NO : GVAPK9102E

Mobile No : 7992232527

Mode of Op : SELF

D.O.B. (if minor) : N/A

Email ID :

Date of A/C Opening : 05/12/2022

Nom.Reg No : 101614841

Date of Issue : 05/12/2022 82558 1765

S/D/W of : MR. MUSTAFA

Mohalla khasganj, POST Sohnsarai, Sarai,

PS-Sohsara,

Nalanda

Binar

803101

Nominee : MR. DANISH SAFIQUE



स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

सुदर्शन कुमार
पिता- बिजय कुमार सिंह
ग्राम- रतैथा
पो०+थाना- हवेली खडगपुर
जिला- मुगेर
पिनकोड- 811213

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुदर्शन कुमार पिता- बिजय कुमार सिंह ग्राम- रतैथा पो०+थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुगेर पिनकोड- 811213	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 17710/ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-773402010001459, खाता धारक का नाम- SUDARSHAN KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS ACCOUNT, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- MIRZANHAT BHAGALPUR, IFSC कोड सं०- UBIN0577341 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

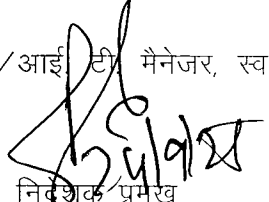
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2768(14)

पटना, दिनांक 24/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ..1.7709/.. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



यूनियन बैंक
व्योम
एक सपना का उद्गम



Union Bank
of India
A Government of India Undertaking

Details of statement



Scan the QR code
to download Vyom on
your smartphone

Name	SUDARSHAN KUMAR
Address	C/O- SRI BIRENDRA KUMAR, S/O- SRI SURESH PD SINGH, ALKAPURI COLONY, ISHAKCHAK
City	BHAGALPUR
State	BIHAR
Pincode	812001
Mobile No	918789576695
Email Id	sudarshankumar99@gmail.com
Home branch	MIRZANHAT BHAGALPUR
IFSC	UBIN0577341

Customer/CIF ID	264050267
Account Type	Savings Account
Account Number	773402010001459
Currency	INR
Branch Address	MIRZAN ROAD SITLA STHAN CHOWK LAXMAN VIVAH BHAWAN PO - MIRZANHAT PS - MUZAHIDPUR
Statement Date	28/02/2025 10:22 PM
Statement Period	25/02/2025 To 28/02 /2025

Self attested
Sudarshan Kumar